



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 610 राँची, सोमवार,

07 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-7/2018-11542 (HRMS)-- श्री विनीत कुमार, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला-लखीसराय 'बिहार'), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुकडू के विरुद्ध उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-49/स्था0, दिनांक 23.01.2018 द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थिति रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-1137, दिनांक 12.02.2018 द्वारा उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रपत्र- 'क' में गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया।

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-137/स्था0, दिनांक 21.02.2018 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया-

“श्री विनीत कुमार के द्वारा दिनांक 13.01.2018 से 15.01.2018 तक अवकाश हेतु ऑनलाईन अवकाश के पोर्टल पर आवेदन दिया गया। परन्तु जापांक-58/गो0 दि0 10.01.2018 द्वारा दिनांक 12.01.2018 को Skill Summit के कार्यक्रम हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति की गई, जिसके कारण उनका दिनांक 13.01.2018 से 15.01.2018 तक के उनके अवकाश के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। अवकाश आवेदन अस्वीकृत किये जाने के बावजूद दिनांक 12.01.2018 को Skill Summit के

कार्यक्रम के समाप्ति के पश्चात् भी इन्होंने कुकडू प्रखंड मुख्यालय में योगदान नहीं दिया, बल्कि बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश में चले गये। पुनः उन्होंने दिनांक 15.01.2018 को अवकाश विस्तार का आवेदन दिया, परन्तु नियमानुसार उन्होंने न ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन दिया न अवकाश स्वीकृत कराया। तत्पश्चात् दिनांक 20.02.2018 तक भी मुख्यालय में योगदान नहीं दिया है। श्री कुमार के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण विकास कार्य, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ ही है, साथ ही अंचल अधिकारी के प्रभार में रहने के कारण अंचल/राजस्व का कार्य भी प्रभावित हुआ है। यह कार्य उनके कर्तव्य के प्रति उदासीनता, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल है।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4556, दिनांक 22.06.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 23.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया-

“उनके द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र एवं ईलाज हेतु दिनांक 11.01.2018 से 14.01.2018 तक की अवधि हेतु आकस्मिक अवकाश का ऑनलाईन आवेदन दिनांक 27.12.2017 को दिया गया था। दिनांक 11.01.2018 के अपराह्न में उन्हें राँची में आयोजित Skill Summit.2018 के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया। कुछ महीनों से वे पीठ दर्द एवं पांव की नसों में खींचाव से बहुत परेशान थे। राँची में दिनांक 12.01.2018 को कर्तव्य निर्वहन के दौरान उन्हें चलने-फिरने में काफी दिक्कत महसूस होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 13.01.2018 से 15.01.2018 तक की अवधि का आकस्मिक अवकाश का ऑनलाईन आवेदन उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को समर्पित किया गया एवं दूरभाष पर भी उपायुक्त को जानकारी दी गई। परन्तु उनके अवकाश स्वीकृति आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके द्वारा अपने पैतृक घर के चिकित्सक द्वारा बीमारी का ईलाज करवाया गया। चिकित्सक द्वारा जांचोपरान्त उन्हें तीन सप्ताह का बेड रेस्ट की सलाह दी गई। तदोपरान्त उनके द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अवकाश अवधि के विस्तार हेतु डाक के माध्यम से उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को अनुरोध किया गया। उनके द्वारा नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जानकारी एवं अवकाश के विस्तार हेतु आवेदन उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ एवं विभाग को उपलब्ध करवाया जाता रहा है।”

श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6383, दिनांक 23.07.2018 द्वारा उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से मंतव्य की माँग की गई। इसी बीच, उपायुक्त, सरायकेला- खरसावाँ के ज्ञापक-1472, दिनांक 31.08.2018 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध पूरक प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। जिसमें उनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप गठित किया गया-

“श्री विनीत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुकडू के द्वारा दिनांक 05.02.2018, 19.03.2018 एवं 11.06.2018 को चिकित्सा अवकाश हेतु अवधि विस्तार का आवेदन दिया गया है, परन्तु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में उनके द्वारा अनुपस्थित अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं सम्मिलित (मुख्य) प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु

अनुमति मांगी गई है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-333 दिनांक 18.05.2018 के द्वारा इस शर्त पर अनुमति प्रदान की गई है कि सरकारी कार्य में बाधा नहीं होगी। अस्वस्थता के कारण चिकित्सा अवकाश में रहना एवं प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना विरोधाभास प्रतीत होता है।

श्री कुमार के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण विकास कार्य, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास जैसे योजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ ही है, साथ ही अंचल अधिकारी के प्रभार में रहने के कारण अंचल/राजस्व का कार्य भी प्रभावित हुआ है।“

श्री कुमार के विरुद्ध गठित पूरक आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक-7876, दिनांक 26.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के ज्ञापक-677/स्था0, दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध गठित प्रथम आरोप पत्र पर मंतव्य उपलब्ध करवाया गया, जो निम्नवत् है-

“श्री कुमार दिनांक 13.01.2018 से लगातार अनधिकृत रूप से चिकित्सीय अवकाश देकर अनुपस्थित हैं। इनके द्वारा एक तरफ Complete Bed Rest का चिकित्सीय प्रमाण दिया जा रहा है तथा दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने की सक्षम प्राधिकार से अनुमति मांगी गई है, जो कि बिल्कुल प्रतिकूल बात है। अगर वे Bed Rest पर हैं तो परीक्षा कैसे दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे गलत चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश का आवेदन भेज रहे हैं। श्री कुमार पिछले आठ महीने से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण सारे विकास कार्य एवं राजस्व कार्य अवरुद्ध हो गये हैं। श्री कुमार का यह आचरण उनके कर्तव्य के प्रति उदासीनता, कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।“

श्री कुमार के पत्रांक-1858, दिनांक 08.07.2019 द्वारा पूरक प्रपत्र-‘क’ के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

“पूरक प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप के अनुसार मैंने अपनी अनुपस्थिति अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60-62वीं सम्मिलित मुख्य परीक्षा में भाग लेने हेतु अनुमति मांगी है। प्रस्तुत आरोप सरासर गलत, निराधार एवं तथ्यों से भिन्न है। बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित 60-62वीं मुख्य परीक्षा में शामिल होने की प्रत्याशा में मैंने उचित माध्यम द्वारा (उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ) अपना आवेदन कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग को दिनांक 23.12.2017 को उपलब्ध कराया था। इसी आवेदन के आलोक में उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-13 दिनांक 10.01.2018 के आधार पर बाद में विभाग द्वारा मुझे अनुमति प्रदान की गई। मेरी अवकाश अवधि (दिनांक 13.01.2018) से पूर्व ही मेरे द्वारा परीक्षा में शामिल होने की प्रत्याशा में विभाग से संबंधित अनुमति हेतु आवेदन दिया गया था। पूरक प्रपत्र-‘क’ में वर्णित कथन सरासर गलत एवं तथ्य से परे है।“

विभागीय पत्रांक-6802, दिनांक 28.08.2019 द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित पूरक स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ से मंतव्य की मांग की गई। उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-

607/जि0ग्रा0 दिनांक 20.06.2020 द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित पूरक स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध करवाया गया, जो निम्नांकित है-

“विभागीय पत्रांक-6802, दिनांक 28.08.2019 के साथ संलग्न श्री विनीत कुमार, झा0प्र0से0 (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुकडू के स्पष्टीकरण को इस आशय के साथ स्वीकृत की जा सकती है कि भविष्य में उनके द्वारा कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही नहीं बरती जायेगी।”

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-607/जि0ग्रा0, दिनांक 20.06.2020 द्वारा प्रेषित मंतव्य से सहमत होते हुए श्री विनीत कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुकडू के विरुद्ध इस मामले में उन्हें “भविष्य में सचेत” रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VINEET KUMAR 110037710628	श्री विनीत कुमार, झा0प्र0से0, (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुकडू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए इन्हें “भविष्य में सचेत” रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
